रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1998/ चैत्र 9, 1920
No. 101] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1998/ CHAITRA 9, 1920

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1998

सा. का. नि. 154 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 170"

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 1998

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 4 आदेश, 1998 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियों, भारत की संचित निधि पर भारित होगी :—

	राज्य	(रुपए करोड़ों में)
	(1)	(2)
1.	अरूणचल प्रदेश	45.63
2.	असम	92.08
3.	गोवा	9.03
4.	हिमाचल प्रदेश	109.25

(1)		(2)
5.	जम्मू-कश्मीर	170.85
6.	मणिपुर	51.31
7.	मेघालय	45.19
8.	मिजोरम	48.79
9.	नागालैंड	79.63
10.	उड़ीसा	38.34
11.	सिक्किम	15.06
12.	त्रिपुरा	71.99

(2) सम्बद्ध राज्यों की वास्तविक वसूली की दशा में, 1 अप्रैल, 1995, 1 अप्रैल, 1996 और 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान, खानों और खनिजों पर स्वामित्व, दसवें वित्त आयोग द्वारा कल्पित रकम से अधिक है तो 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में सम्बद्ध राज्यों को संदेय अनुदान में से उपयुक्त कटौती की जाएगी।

(3) उप पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुछेद 275 के खण्ड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन्,
राष्ट्रपति,
[फा. सं. 19(4)/98-विधायी-I]

रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1998

G. S. R. 154 (E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C. O. 170"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

NO. 4 ORDER, 1998

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 1998.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of the Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specifed against it :—

State		(Rupees in crores)
(1)		(2)
1.	Arunachal Pradesh	45.63
2.	Assam	92.08
3.	Goa	9.03
4.	Himachal Pradesh	109.25

	State	(Rupees in crores)
	(1)	(2)
5.	Jammu and Kashmir	170.85
6.	Manipur	51.31
7.	Meghalaya	45.19
8.	Mizoram	48.79
9.	Nagaland	79.63
10.	Orissa	38.34
11.	Sikkim	15.06
12.	Tripura	71.99

(2) In case the actual realisation of the concerned States from royalty on mines and minerals during the financial years commencing on the 1st day of April, 1995, the 1st day of April, 1996 and the 1st day of April, 1997 is higher than that assumed by the Tenth Finance Commission then suitable reduction will be made in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998 in the grants payable to the concerned States.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K. R. NARAYANAN,
President.

[F. No. 19(4)/98-L-I]
RAGHBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.